C-H0 151

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर• म0प्र0

प्रकरण क्रमांक- /09 निगरानी - R - 298 - PBR/09

1- मुख्तार सिंह जाट पुत्र श्री मीत सिंह जाट
2- पुर्वजीत सिंह पुत्र श्री मुख्तार सिंह जाट
समस्त निवासीगण ग्राम धुवानी परगना
व जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
.......प्रार्थीगण

श्री ए० के० अग्रवाल - एडवोकेट
द्वारा आज दि० 13-3-09 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म० प्र०

बनाम

शारापत्त खाँ पुत्र श्री शौकत खाँ निवासी ग्राम
धुवानी परगना व जिला शिवपुरी, म0प्र0
.......प्रतिप्रार्थी

13-3-09

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश
माननीय श्री ए0के0शिवहरे अपर आयुक्त ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-
107/2007-08 अपील आदेश दिनांक 29-12-2008•

माननीय महोदय,

प्रार्थी की निगरानी निम्न कारणो से प्रस्तुत है :-

1- यह कि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवम् विधान के विपरीत व फाइण्डिंग परवर्स Perverse होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं समझा इस कारण आदेश देने में त्रुटि हुयी है व आवेदक न्याय पाने से वंचित रहा है। विवादित भूमि 49/2 सर्वे नम्बर ग्राम धुवानी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 250 का आवेदन अनावेदक का स्वीकार किया है वह आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं था। आवेदन में कोई आधार प्रस्तुत करने का नहीं था धारा 250 में अवधि का प्रश्न महत्वपूर्ण है आवेदन में अनावेदक ने कहीं भी वर्णित नहीं किया कि अनावेदक को बेदखल कब कैसे और किस प्रकार बेदखल किया गया। धारा 250 अवधि का प्रश्न

अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट
मनोहर मेडीकल के सामने जनकगंज
लश्कर ग्वालियर म.प्र. 0751-2421716

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी-- 298/अध्यक्ष/09 जिला -- शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.05.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 107/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.08 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार शिवपुरी के द्वारा अपने प्रकरण कमांक 4/2006-07/अ-11 में पारित आदेश दिनांक 20.2.07 के द्वारा अनावेदक खराफत खां के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 49/2 ग्राम धुमानी पर से आवेदक मुख्तयार सिंह का बेजा कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये जाकर 500/-रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस आदेश से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 9-7-07 को अपील निरस्त की जिससे दुखी होकर मुख्त्यार सिंह ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 29.12.08 को आदेश पारित किया जाकर अपील अस्वीकार हुई। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि विवादित भूमि 49/2 सर्वे नम्बर ग्राम धुवानी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 250 का आवेदन अनावेदक का स्वीकार किया है वह आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं था। धारा 250 में अवधिका प्रश्न महत्वपूर्ण है आवेदन में अनावेदक ने कहीं भी वर्णित नहीं किया कि अनावेदक को बेदखल कब कैसे और किस प्रकार बेदखल किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुनः वही निवेदन किया गया है कि आवेदक का कब्जा वापिस करने व अर्थदण्ड सहदण्डित करने का निवेदन किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

3-अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आलोच्य भूमि का वह भूमिस्वामी है जो राजस्व अभिलेख से भी प्रमाणित है। आवेदक ने जबरन कब्जा उसकी भूमि पर कर लिया है । विचारण न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार कर और उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही आलोच्य आदेश पारित किया है जिसे यथावत रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने से निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

4- मैंने उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया।

5-उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनावेदक शराफत खां द्वारा दिनांक 19.10.2006 को धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार को निवेदन किया कि मुख्त्यारसिंह आदि ने मुझे पट्टे पर शासन द्वारा दी गई भूमि सर्वे कमांक 49/2 रकवा 2.00 है0 की ग्राम धुआनी तहसील व जिला शिवपुरी में स्थित भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिसके तारतम्य में नायब तहसीलदार द्वारा साक्ष्य, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, तथा अनावेदक के जबाव आदि से पुष्टि होने के पश्चात ही नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा अपना आदेश पारित किया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पुष्टि की है । अतः तीनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने से उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ।

6- अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 107/2007-08/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.08 स्थिर रखा जाता है । परिणाम स्वरूप प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हो। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

के. सी. जैन
सदस्य